

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-क का उपनियम (6) देखिये)  
रूप-पत्र जारी करने का रजिस्टर जो व्यापार कर अधिकारी द्वारा रखा जायेगा

रूप-पत्रों की प्राप्ति		रूप-पत्रों का बनिर्गमन			
प्राप्ति रूप-पत्रों की संख्या		जारी किये गये रूप-पत्रों की संख्या			
दिनांक	अधिकारी जिससे प्राप्त हुये तथा पत्र की संख्या और दिनांक जिसके साथ प्राप्त हुए	रूप-पत्र 3-क क्रम संख्या कुल संख्या	क्रम संख्या से तक	दिनांक व्यापारी का नाम और पता जिसको पत्र की सं. जारी किये गये और प्रभावी होने का दिनांक	
1	2	3(क)	3(ख) 3(ग)	4	5

जारी किये गये रूप-पत्रों की कुल संख्या	क्रमसंख्या ..... से तक	प्राप्त करने वाले व्यापारी के हस्ताक्षर	स्तम्भ 8 में प्राप्त कर वाले व्यापारी के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर	व्यापार कर-अधिकारी/ व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
7(क)	7(ख)(ग)	8	9	10	11

टिप्पणी - इस रूप-पत्र में हस्ताक्षरों के सत्यापन का, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, वही अर्थ होगा जो सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में दिया गया।